



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 257 वर्ष 2026

डॉ. सिमरन रायत
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
अधिवक्ता

: सीएससी

: अखिलेश कुमार, योगेश कुमार पटेल प्रतिवादी के

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।
- विद्वान स्थायी वकील श्री बी.के. श्रीवास्तव ने निवेदन किया कि उन्हें निर्देशों की पूर्ण जानकारी है और ये निर्देश रिट याचिका के निपटारे के लिए पर्याप्त हैं। वे कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। अतः पक्षों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह जिला सहारनपुर के हरौदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत शल्य चिकित्सक के पद पर तैनात हैं। याचिकाकर्ता ने इससे पहले 22.08.2002 से 17.02.2023 तक मातृत्व अवकाश लिया था, जिसे स्वीकृत कर दिया गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने दोबारा मातृत्व अवकाश लिया, जिसे अब अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मंडल, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 06.03.2025 को पारित आदेश के आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है।
- इसी बात पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकारियों द्वारा मातृत्व अवकाश को अस्वीकार करने का आधार यह तथ्य है कि उक्त मातृत्व अवकाश दो वर्ष की अवधि के भीतर लिया गया है, अतः संबंधित नियमों के नियम 153 के अनुसार यह अवकाश प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि उक्त आधार उपलब्ध नहीं थे, विशेष रूप से तब जब उक्त मुद्दा अब कोई नया मुद्दा नहीं रह गया है, क्योंकि उक्त मुद्दे का निर्णय ऋचा शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; 2020 (164) एफएलआर 716 में हो चुका है।
- दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि नियम इसकी अनुमति नहीं देता, लेकिन ऋचा शुक्ला (उपरोक्त) के फैसले में नियमों पर विचार किया गया है, इसलिए इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

8. तथ्य विवाद का विषय नहीं है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश की मांग करने वाली सरकारी कर्मचारी है। वितीय पुस्तिका के नियम 153(1) के तहत मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना है, इस पर विचार किया जा चुका है। ऋचा शुक्ला (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित कथन किया गया है:

13. इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा मातृत्व अवकाश के लिए किए गए आवेदन को वितीय पुस्तिका के नियम 153(1) का हवाला देते हुए यह तर्क देकर अस्वीकार कर दिया गया है कि इसमें यह प्रतिबंध है कि दूसरा मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा सकता है और यह तभी स्वीकार्य होगा जब पहले मातृत्व अवकाश की समाप्ति और दूसरे मातृत्व अवकाश की मंजूरी के बीच दो वर्ष से कम का अंतर हो। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता का पहला मातृत्व अवकाश 30.12.2017 को समाप्त हुआ था और इस प्रकार प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के दूसरे मातृत्व अवकाश के दावे को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि, चूंकि 1961 अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मातृत्व अवकाश के आवेदन को अस्वीकार करने में वितीय पुस्तिका के नियम 153(1) पर भरोसा करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, विशेष रूप से तब जब 1961 अधिनियम की धारा 27 यह प्रावधान करती है कि किसी अन्य कानून या सेवा अनुबंध में निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद 1961 अधिनियम ही लागू होगा।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और स्वीकार की जाती है। दिनांक 13.11.2019 और 27.11.2019 के आदेशों को रद्द करने के लिए एक रिट ऑफ सर्टिओरारी जारी की जाती है, जिनकी प्रतियां रिट याचिका के अनुलग्नक 1 और 5 हैं। प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश देने के लिए एक रिट ऑफ मैडमस जारी की जाती है कि वह उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से दस दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के मातृत्व अवकाश प्रदान करने के मामले पर विचार करे।

9. विद्वान स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, इस मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(क). प्रतिवादी संख्या 3, सहारनपुर डिवीजन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक द्वारा दिनांक 06.03.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को वापस भेज दिया जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित किया जा सके।

10. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

11. आज दाखिल किए गए निर्देशों को परिशिष्ट बी के रूप में दर्ज किया गया है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"